जयपुर विकास प्राधिकरण

कमांक :– एफ (जविप्रा)/टीसीबी/2006–07/डी– दिनांक :

दिनांक 15.02.2007 को जेडीसी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित 53 वी टी.सी.बी बैठक की कार्यवाही का विवरण

(क) पुराने प्रकरण

1 दुर्घटना थानों एवं यातायात पुलिस द्वारा सीज किये गये वाहनों के लिए भू आवंटन :–

प्रस्तुत निर्णय की अनुपालना के लिए हरमाडा एवं जगतपुरा क्षेत्र में दो भूखण्ड चिन्हित कर लिए गये है, जिनके अनुमोदन एवं आवंटन प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा प्राप्त होने पर भू आवंटन की प्रकिया प्रारम्भ की जाकर इन भूखण्डों का आवंटन यातायात पुलिस को कर दिया जायेगा।

संबंधित अधिकारी : सचिव, जविप्रा एवं पुलिस अधीक्षक यातायात

2 प्राइवेट बस स्टेण्डो को शहर के बाहर स्थानान्तरित करना :–

प्रकरण की अनुपालना में हो रहे विलम्ब के कम में निर्णय हुआ कि सचिव, जविप्रा अति. आयुक्तों एवं उपायुक्तों की मीटिंग बुलाकर उन्हें बस स्टेण्डों को स्थानान्तरित किये जाने के लिए उपयुक्त भूखण्डो की तलाश करने के निर्देश देगें एवं प्राप्त सूचना पुलिस अधीक्षक यातायात एवं अन्य अधिकारियों को अनुमोदनार्थ भिजवायी जाकर बस स्टेण्डों को स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी।

संबंधित अधिकारी : सचिव, जविप्रा/अति. उपायुक्त

3 जवाहर कला केन्द्र के सामने रोड कट बंद करना :–

वन विभाग द्वारा प्रस्तावित विकल्पों पर असहमति प्राप्त होने के कारण यह निर्णय हुआ कि निदेशक अभियांत्रिकी एवं अन्य अधिकारी पुनः मौका मुआयना करे एवं वन विभाग के कार्यालय को न्यूनतम विघ्न हो एवं कम से कम जमीन के उपयोग से बजाज नगर तिराहे से झालाना की ओर ट्रेफिक डाइवर्ट किये जाने कि कार्ययोजना एवं प्रस्ताव के साथ अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे, जिससे कि उच्च स्तर पर इस संबंध में चर्चा की जाकर इस ट्रेफिक जंक्शन की समस्या का समाधान किया जा सके।

संबंधित अधिकारी : निदेशक अभियांत्रिकी

4 फ्लाईओवर के नीचे की खाली जमीन का उपयोग :–

टीसीबी को अवगत करवाया गया कि शहर में स्थित विभिन्न फ्लाईओवर्स की खाली जमीन के उपयोग के संबंध में कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है तथा सरस एवं सांगानेर फ्लाईओवर के नीचे की जमीन का उपयोग सौन्दर्यीकरण योजना के अंतर्गत किया जा चुका है तथा अन्य फ्लाईओवर्स की खाली जमीन के उपयोग की कार्ययोजना पर कार्य जारी है। अध्यक्ष महोदय ने बतलाया कि मयूर वाटिका पर ठेले इत्यादि लगने शुरू हो गये है तथा वहां पर साफ सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस स्थल की गरिमा को बनाये रखा जाये तथा

45

आस पास स्थित एरिया से गंदगी हटाई जाकर यह सुनिश्चित किया जाये की यह स्थल पर्यटकों एवं जनता के लिए आकर्षण का केन्द्र बना रहे। फ्लाईओवर्स के नीचे सौन्दर्यीकरण की स्थितिया बिगडे नहीं इस ओर भी निरन्तर ध्यान दिया जाये। बाकि बचे फ्लाईओवर के नीचे की खाली जमीन के उपयोग की कार्य योजनाओं में भी प्रगति लायी जाकर समय समय पर टीसीबी को अवगत करवाया जाये। चूंकि इस निर्णय की अनुपालना शुरू हो चुकी है। अतः इसे टीसीबी के लम्बित प्रकरणों की सूची से हटाया जाना वाछंनीय पाया गया है।

5 ट्रांसपोर्ट नगर से झालाना आगार तक सडक सुधार :–

इस कार्य हेतु ट्रेण्डर आमंत्रित किये जा चुके है एवं टीसीबी के निर्णयानुसार कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। अतः इस प्रकरण को टीसीबी की सूची में रखने का औचित्य नही होने से लम्बित प्रकरणों की सूची से हटाने का निर्णय लिया गया।

6 ढांचागत विकास कार्यकम :–

(क) बीआरटीएस परियोजना एवं एटीसीएस परियोजना:– बीआरटीएस परियोजना एवं एटीसीएस परियोजना की प्रगति से टीसीबी को अवगत करवाया गया। पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा एमआई रोड कोरिडोर पर एटीसीएस परियोजना के अंतर्गत छोड दिए गए ट्रैफिक पाइंटस को इस परियोजना से जोडने के कम में निर्णय हुआ कि बीआरटीएस एवं एटीसीएस परियोजना के अधिकारियों की मीटिंग आयोजित की जाकर, जो पाइंटस एटीसीएस परियोजना से अनकवर्ड रह गये है उन्हें सम्मिलित करने की संभावना का पता लगाया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जाये।

संबंधित अधिकारी : सचिव, जविप्रा एवं सलाहकार टीसीबी

(ख) सडक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान एवं यातायात संसाधन केन्द्र की स्थापना:– इस निर्णय की अनुपालना में सलाहकार टीसीबी एवं मुस्कान प्रतिनिधि द्वारा मारूति कंपनी से सूचना एकत्र की गयी तथा परिवहन आयुक्त, हरियाणा से चर्चा की गयी तथा संबंधित परियोजनाओ के प्रारूप प्राप्त करने के लिए परिवहन आयुक्त राजस्थान द्वारा परिवहन आयुक्त हरियाणा को पत्राचार किया गया है। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि सारी सूचनाओं का अध्ययन एवं समीक्षा करके सलाहकार टीसीबी इस संबंध में प्रस्ताव एवं कार्य योजना अग्रिम प्रशासनिक कार्यवाही के लिए जेडीसी महोदय को पेश करेगे। इस प्रकरण पर टीसीबी द्वारा कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है अतः इसे टीसीबी के लम्बित प्रकरणों की सूची से हटायी जाने का निर्णय हुआ।

(ग) रोड सेफ्टी काउन्सिल की स्थापना :– चूंकि कट्स द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः प्रस्ताव प्राप्त होने तक इस प्रकरण को ~~ड्रोप~~ स्थगित करने का निर्णय हुआ।

(घ) रोड कट्स डाइवर्जनस एवं दुर्घटना संवेदी स्थलों के बारे में कार्यवाही :– प्रकरण के संबंध में अजमेर रोड, जयसिंह हाइवे, चिंकारा से पानीपेच की सडक, बिडला मन्दिर का ट्रेफिक जंक्शन, विश्वविद्यालय गेट के सामने स्थित ट्रेफिक पाइन्ट, शांति पथ पर पानी की टंकी के पास का यातायात स्थल, घाट की गूणी, ट्रांसपोर्ट नगर, मच्छी दरवाजा, सागानेर पुलिया से प्रताप प्लाजा एवं बम्बाला पुलिया को यातायात एवं सडक सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील पाया गया एवं इन स्थलों का अध्ययन किया जाकर रोड कट् बंद करने, स्पीड ब्रेकर बनवाने एवं अन्य इंजीनियरिंग डिजाइनों के जरिए सुधार लाकर इन स्थलों को सुरक्षित बनाये जाने का निर्णय हुआ। पुलिस अधीक्षक यातायात अपने क्षेत्रीय अधिकारियों से वांछनीय कार्यो के प्रस्ताव प्राप्त कर निदेशक अभियांत्रिकी को भिजवायेगीं, जिससे कि प्रस्तावित कार्य करवाया जाकर इन सडकों को सुरक्षित बनाया जा सके।

संबंधित अधिकारी : पुलिस अधीक्षक यातायात एवं निदेशक अभियांत्रिकी

7 प्रौद्योगिकी सुधार :–

इस प्रकरण में पूर्व में लिए गए निर्णय के कम में निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित यंत्रों, उपकरणों एवं ससाधनों को कय करने के प्रस्तावों की समीक्षा करने एवं उन्हें प्राप्त करने के लिए अनुशंसा करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाये, जिसकी सिफारिश के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत्तियां जारी हो एवं वांछित उपकरण, यंत्र एवं संसाधन ट्रेफिक व्यवस्था में प्रौद्योगिकी सुधार के अन्तर्गत खरीदे जा सकें।

सबंधित अधिकारी : सचिव, जविप्रा, सलाहकार टी.सी.बी.

8 प्रशासकीय, मानवीय एवं प्रकियात्मक सुधार :–

टीसीबी को अवगत करवाया गया कि इस संदर्भ में विभिन्न कार्यकमों का आयोजन यातायात पुलिस एवं मुस्कान संस्थान द्वारा किया जा रहा है तथा सडक सुरक्षा सप्ताह के दौरान इस प्रसंग में पर्याप्त प्रगति की गयी एवं ये कार्यकम भविष्य में भी जारी रखे जायंगे।

सबंधित अधिकारी : यातायात पुलिस, परिवहन विभाग एवं मुस्कान

9 विविध विषय :–

i) वैशाली नगर से झालाना सडक मार्ग का सुधार :– पुलिस अधीक्षक यातायात ने अवगत करवाया है कि इस रूट के सुधार हेतु सभी संबंधित विभागों को निवेदन किया जा चुका है तथा कुछ रोडकट्स बंद भी किये जा चुके है। एक नियमित प्रशासनिक प्रकिया के अन्तर्गत कार्यवाही जारी है। अतः इस विषय को टीसीबी प्रकरण की विषय सूची से हटाये जाने का अनुमोदन हुआ।

ii) बजरी मंडी, अनाज मंडी एवं सब्जी मंडी का स्थानान्तरण :– टीसीबी को अवगत करवाया गया कि बजरी मंडी का स्थानान्तरण हो चुका है तथा सब्जी मंडी जो कि निर्माणाधीन है के निर्माण के बाद सब्जी मंडी का स्थानान्तरण होना संभव हो सकेगा। अतः इस प्रकरण को ड्रोप करने का निर्णय लिया गया।

iii) ट्रेफिक लाइट्स का एलईडी में रूपान्तरण एवं रख–रखाव :– पुलिस अधीक्षक यातायात ने अवगत करवाया गया कि प्रस्ताव संबंधित विभाग को भेजे जा चुके है। परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अतः निर्णय हुआ कि संबंधित विभाग एवं पुलिस अधीक्षक यातायात इस संबंध में प्रभावी एवं ठोस कार्यवाही हो इसे सुनिश्चित करे।

iv) रोड लाइनिंग एवं साइनेजेज के लिए रेट कांट्रेक्ट :– प्रस्तावित रेट कांट्रेक्ट का कार्य संपन्न किया जा चुका है। अतः इस प्रकरण को ड्रोप किया गया।

v) जगतपुरा ओवरब्रिज के पास स्थित पुलिसचौकी का स्थानान्तरण :– इस निर्णय पर अमल की प्रकिया जारी हो चुकी है। अतः इसे ड्रोप किया गया।

vi) जवाहर सर्किल पर यातायात संचालन :– इस प्रकरण की अनुपालना के लिए निर्णय हुआ कि निदेशक आयोजना के प्रस्ताव की कियान्विति हेतु पुलिस अधीक्षक यातायात एवं निदेशक आयोजना संयुक्त मौका मुआयना करके अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करे।

vii) स्कूली छात्रों द्वारा अनाधिकृति वाहन चालन एवं स्कूलों पर पार्किंग समस्या :– पुलिस अधीक्षक यातायात ने अवगत करवाया कि स्कूली छात्रों द्वारा अनाधिकृत वाहन चालन को रोकने एवं स्कूलों में पार्किंग की समस्या ने निपटने के लिए जाप्ते को निर्देशित किया जा चुका है एवं अवहेलना करने वालों के खिलाफ एम.वी.एक्ट के तहत कार्यवाही जारी है। अतः इस प्रकरण को ड्रोप करने का निर्णय हुआ।

viii) बहुमंजिला इमारतें एवं पार्किंग समस्या :– टीसीबी सदस्यों ने इस समस्या की गंभीरता पर विचार किया एवं यह तय किया गया कि बिल्डिंग बायलोज में बढती वाहनों की संख्या के अनुरूप पार्किंग के प्रावधान करने के लिए संशोधन किये जाये। जेडीए द्वारा इन संशोधनों के प्रारूप से टीसीबी के सदस्यों को अवगत करवाया जाये एवं वर्तमान की समस्याओं के अलावा भविष्य में पैदा होने वाली समस्याओं के संदर्भ में दूरगामी विचारणा की जाकर वर्तमान एवं भावी पार्किंग आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन किये जाये। अध्यक्ष महोदय ने बिल्डर एसोसिएशन के प्रतिवेदन से टीसीबी को अवगत करवाया एवं निर्देश दिये गये कि बहुमंजिला इमारतों में प्रस्तावित पार्किंग स्थल के दुरूपयोग की जॉच के लिए एक कमेटी का गठन किया जाये।

संबंधित अधिकारी : सचिव, जविप्रा, सलाहकार टी.सी.बी.

ix) गौरव टावर पर पार्किंग समस्या :– इस प्रकरण में पूर्व में लिये गये निर्णय के क्रम में यह निर्देश हुये कि गौरव टावर पर स्थित तीनों बडे मॉल्स के मालिकों को बुलाया जाकर मीटिंग का आयोजन किया जाये, जिससे कि इन मॉल्स के कर्मचारियों से निर्धारित मासिक शुल्क लिया जाकर स्थायी पार्किंग व्यवस्था में वाहन खडे करने के लिए प्रेरित किया जा सके, जिससे कि इन वाहनों की वजह से पार्किंग की जो जगह उपयोग हो रही है, उसका उपयोग आम नागरिकों के लिए किया जा सके।

संबंधित अधिकारी : सचिव जेडीए एवं सलाहकार टीसीबी

x) सडकों पर यातायात दबाव कम करने के लिए वैकल्पिक मार्गो की पहचान :– पुलिस अधीक्षक यातायात ने वैकल्पिक मार्गो की सूची प्रस्तुत कर दी है। अतः इस प्रकरण को ड्रोप किये जाने का निर्णय हुआ।

xi) बस शेल्टर्स एवं गेन्ट्रीज का निर्माण :– जोनल अभियंता–10 द्वारा प्रस्तुत सूची एवं स्थलों पर प्रस्तावित निर्माण किये जाने के प्रस्ताव का टीसीबी द्वारा अनुमोदन किया जाये।

xii) ट्रेफिक से सबंधित सूचना हेतु कियोस्क की स्थापना :– इस प्रकरण पर निर्णय हुआ कि पूर्व में परिवहन विभाग में जो कियोस्क संचालित है, उनका उपयोग इस कार्य के लिए कर लिया जाये।

टिंग का समापन धन्यवाद प्रस्ताव के साथ किया गया।

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण

ालिपि निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :–

1. महापौर नगर निगम जयपुर
2. कलेक्टर जयपुर
3. परिवहन आयुक्त राजस्थान जयपुर
4. निदेशक आरयूआईडीपी जयपुर
5. प्रबन्ध निदेशक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर
6. श्री शंकर सुरोलिया, सलाहकार ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड जविप्रा

7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर
8. आयुक्त राजस्व नगर निगम जयपुर
9. पुलिस अधीक्षक यातायात जयपुर
10. मुख्य प्रवर्तन अधिकारी जविप्रा
11. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात जयपुर
12. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर
13. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर
14. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 जयपुर
15. मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर
16. निदेशक वित्त जविप्रा
17. निदेशक नगर आयोजना जविप्रा
18. निदेशक परियोजना जविप्रा
19. निदेशक अभियांत्रिकी जविप्रा
20. निजी सचिव आयुक्त जविप्रा
21. निजी सचिव, सचिव जविप्रा
22. सर्किल अभियन्ता –द्वितीय जविप्रा
23. सिस्टम एनेलिस्ट जविप्रा
24. जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा
25. जोनल अभियन्ता –9 जविप्रा
26. श्री प्रमोद भसीन मुस्कान संस्था प्रतिनिधि 45, हथरोई अजमेर रोड जयपुर

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण